

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी.के. त्रिपाठी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक: 26-8-14

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02 भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित/श्रमपुस्त कर्मचारियों के भुगतान हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अंतर्गत निम्नरूपेण दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्षों/उप शीर्षों के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	कार्य का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	50/2702-लघु सिंचाई/ 02-भू जल,	005- अन्वेषण 03- सतही सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण,	01-वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/ श्रमपुस्तों को वेतन, 50N270202005030111	लघु सिंचाई, राँची	कार्यभारित / श्रमपुस्तों को वेतन
प्रमंडल का नाम	पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में)	वर्तमान आवंटन (लाख ₹ में)	कुल आवंटित राशि (लाख ₹ में)	On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
7	8	9	10	11	12
लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार (LTRMIR001)	0.00000	04.04894	04.04894	53255	डब्लू.पी.(एस.) संख्या- 4728/2012 महेन्द्रनाथ उपाध्याय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय से उद्भूत अवमाननावाद (सिविल) संख्या - संख्या-1164/2012 के अनुपालन में एक वादी के भुगतान हेतु।

आवंटित राशि - ₹ चार लाख चार हजार आठ सौ चौरानबे मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट शीर्ष-2702-02-005 के अन्तर्गत उपशीर्ष - 03 - सतही सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण मद के उपबंध ₹ 728.00 लाख (₹ सात करोड अठाईस लाख मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

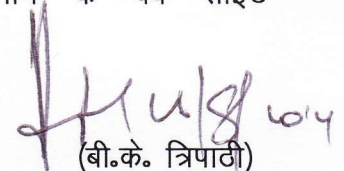
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
6. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
8. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

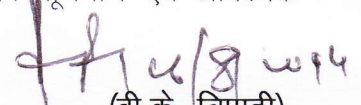
ज्ञापांक :-

100

राँची, दिनांक :-

26-8-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

100

राँची, दिनांक :-

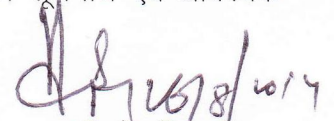
26-8-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव